# न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः— 14 / 2025

| अपीलार्थी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. रामनारायण पुत्र श्री चौखाराम उम्र 56 वर्ष, निवासी ढेलाणा, जोधपुर वर्तमान फलौदी प्रोपराईटर उचित मूल्य दुकान मैसर्स रामनारायण गायणा उचित मूल्य विक्रेता ढेलाणा तहसील लोहावट, जिला जोधपुर (वर्तमान फलौदी) | | 1. जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर |

**जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर द्वारा विभाजित प्रकरण संख्या 03 / 2020 अथवा प्रकरण संख्या जि.र.द्वि. / विधि / 01 / 2023 अथवा विभागीय प्रकरण संख्या जि.र.द्वि. / विधि / 01 / 2022 सरकार बनाम मैसर्स रामनारायण गायणा में पारित आदेश दिनांकित 30.01.2020,29.04.2020 एवं 27.05.2022 के विरूद्व अपील अंतर्गत क्लोज 22(1)(ए) अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976**

अपीलार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री कंवरलाल मेघवाल।

प्रतिवादी की ओर सेः— जिला रसद अधिकारी उपस्थित।

**निर्णय** दिनांकः— 07/10/2025

1. अपीलार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 03 / 2020 अथवा प्रकरण संख्या जि.र.द्वि. / विधि / 01 / 2023 अथवा विभागीय प्रकरण संख्या जि.र.द्वि. / विधि / 01 / 2022 सरकार बनाम मैसर्स रामनारायण गायणा में पारित आदेश दिनांकित 30.01.2020, 29.04.2020 एवं 27.05.2022 के विरूद्व अपील अंतर्गत क्लोज 22(1)(ए) अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पेश की है।
2. अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्ष 2001 से उचित मूल्य दुकान मैसर्से रामनारायण गायणा, ग्राम पंचायत ढेलाणा, तहसील लोहवट के नाम से राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत है। जांच अधिकारी श्रीमती शिवानी अस्थाना की जांच रिपोर्ट दिनांकित 18.12.2019 अनुसार दिनांक 12.12.2019 को दुकान बंद पायी तथा दुकानदार द्वारा दूरभाष पर सम्पर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उ.मू.दू. द्वारा फोन नहीं उठाया गया वरन इसी जांच अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 14.01.2020 के अनुसार दिनांक 12.12.2019 को बार—बार निर्देशित करने के बावजूद भी वह दुकान पर उपस्थित नहीं हुआ। एक महीने के भीतर ही जांच अधिकारी द्वारा एक ही दिनांक की बात में सम्पूर्ण रूप से भिन्नता आना, जांच की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाती है। इसके अलावा भी अपीलार्थी के लिखित निवेदन के बावजूद प्रतिवादी का कोई भी अधिकारी बिना जांच किये एवं बिना अपीलार्थी से सम्पर्क किये रिपोर्ट दिनांकित 18.04.2022 आगाह जांच अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में बैठ कर ही बना दी जाती है। अतः आलौच्य आदेश

जिला कलक्टर
फलौदी

अपास्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2020 आलौच्य आदेश 29.04.2022 एवं आलौच्य आदेश 27.05.2022 अपास्त करने हेतु अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री माणकलाल चाण्डा के द्वारा अपील अंतर्गत क्लोज 22(1)(ए) अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के तहत जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख मंगवाया गया। पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर फलौदी के क्षेत्राधिकार में होने के कारण इस न्यायालय को प्राप्त हुई। जिसमें अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कंवरलाल मेघवाल ने वकालातनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज एंव निर्णित उपरोक्त वर्णित प्रकरण की वास्तविक शुरूआत प्रतिवादी विभाग के अनुसार 12.12.2019 को हुयी। जब श्रीमति शिवानी अस्थाना की जांच रिपोर्ट एवं मौका फर्द अनुसार वहां उपस्थित सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच के पति) एवं अन्य लोगों से अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के विरुद्ध बयान लिए। श्रीमति शिवानी अस्थाना द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के विरूद्ध कथन लिए। श्रीमति शिवानी अस्थाना द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान की जांच बाबत रिपोर्ट दिनांकित 18.12.2019 एवं संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट प्रदर्श–2 के रूप में संलग्न है। उपरोक्त वर्णित मौका फर्द अनुसार सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच पति) मांगूसिह के कोई बयान नहीं है यहां तक कि सरपंच प्रतिनिधि के किसी भी बयान का एक भी शब्द नहीं है। इसके अलावा मौका फर्द अनुसार 03 (तीन) अन्य लोगों के बयान कलमबद्ध करना प्रतिवादी विभाग के अधिकारी शिवानी अस्थाना द्वारा वर्णित किया गया है जबकि इन तीन बयानों में से जेठुसिंह पुत्र सांवतसिंह के तीन लाइनो के बयानों के नीचे जेठूसिंह के किसी तरह के कोई हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी नहीं है। यहां तक कि अन्य 02 बयान भी 3–4 लाईनों के ही है। यहां तक कि अन्य 02 बयान भी 3–4 लाईनो के ही है। जिसमें कोई स्पष्ट आरोप अपीलार्थी के खिलाफ नहीं है। यद्यपि एक पृष्ठ पर ही तीनो बयान प्रतिवादी विभाग के अधिकारी द्वारा कलमबद्ध किये गये।उसी दिन अर्थात 12.12.2019 को ही अपीलार्थी के पास प्रतिवादी डी.एस.ओ. कार्यालय से श्रीमति शिवानी अस्थाना का फोन आया और उन्होने अपीलार्थी को बताया कि हम आपके चहा आये थे और आपकी उचित मूल्य दुकान बंद पायी गयी थी इसलिए हमने सरपंच प्रतिनिधि (सरपंच प्रतिनिधि) मांगूसिंह एवं बालूराम एवं पुखाराम के बयान अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान के विरुद्ध दर्ज किये है तब अपीलार्थी ने फोन पर प्रतिवादी अधिकारी को बताया कि अपीलार्थी के दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गयी थी इसलिए वह सरपंच एवं अन्य उपस्थित ग्रामवासियों को सूचित कर अपने दूर के रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शरीक होने गया हुआ था तथा श्रीमती शिवानी आस्थाना द्वारा किसी तरह से अपीलार्थी को दूरभाष पर दौराने जांच निरीक्षण हेतु सम्पर्क नहीं किया गया। तत्पश्चात दिनांक 2.12.2019 को ही अपीलार्थी सरपंच एवं सरपंच प्रतिनिधि मांगूसिंह एवं अन्य ग्रामवासियों को उसे टेलीफोन पर मिले सूचना के बारे में बताया तब मांगूसिंह सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि उसने कोई बयान या शिकायत नहीं की क्योंकि उसे अपीलार्थी की राशन दुकान से किसी तरह की

जिला कलक्टर
फलौदी

कोई शिकायत नहीं है तथापि अपीलार्थी के समर्थन में जिला रसद अधिकारी को लिखने को तैयार है एवं साथ चलकर जिला रसद अधिकारी को समर्थन पत्र देने को भी तैयार है। अन्य ग्रामवासियों ने भी अपीलार्थी को कहा कि वो जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर के कार्यालय बुलाकर उसके समर्थन में बयान या समर्थन पत्र देने को तैयार है। तत्पश्चात मांगूसिंह, बालूराम एवं पुखाराम एवं अन्य ग्रामवासियों ने दिनांक 12.12.2019 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर को अपीलार्थी के पक्ष में समर्थन की पत्र लिख कर दिया तथा यह समर्थन पत्र दिनांकित 12.12.2019 को अपीलार्थी द्वारा जोधपुर आकर उसी दिन प्रतिवादी के कार्यालय में उपलब्ध करवा दी गयी। समर्थन पत्र दिनांक 12.12.2019 प्रदर्श–3 के रूप में सलग्न है। तत्पश्चात दिनाक 08.01.2020 को प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा उसी दिन प्रतिवादी द्वारा प्रकरण संख्या 03/2020 में आदेश दिनांकित 08.01.2020 पारित कर अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया। कारण बताओ नोटिस दिनांकित 08.01.2020 एवं आदेश दिनांकित 08.01.2020 की प्रति प्रदर्श– 4 के रूप में संयुक्त रूप से संलग्न है। कारण बताओ नोटिस दिनांकित 08.01.2020 के अनुसार प्रवर्तन अधिकारी श्रीमति शिवानी अस्थाना द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य का निरीक्षण दिनांक 12.12.2019 को किया गया जबकि आदेश दिनांकित 08.01.2020 के अनुसार प्रवर्तन अधिकारी श्रीमति शिवानी अस्थाना द्वारा दिनांक 19.12.2019 को निरीक्षण करना बताया गया है इससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी एवं इनके अधिकारी द्वारा दी गई सम्पूर्ण कार्यवाही डाउटफुल प्रतीत होती है तथा बिना अपने मस्तिष्क का प्रयोग किए सारी कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्ध प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के अधिकारीगण द्वारा की गयी है। तत्पश्चात दिनाक 17.01.2020 को पुनः प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें यह वर्णित किया गया कि प्रवर्तन अधिकारी श्रीमति शिवानी अस्थाना द्वारा दिनांक 10.01.2020 को पुनः निरीक्षण किया गया तथा इस दिन भी दुकान बंद थी एवं यह भी वर्णित किया गया कि माह सितम्बर, 2016 से माह जनवरी, 2020 तक अपीलार्थी की दुकान पर गेहूँ की कुल आवक 3,31,451 किलोग्राम हुयी तथा इस अवधि में अपीलार्थी द्वार पॉस मशीन से कुल 2,69,510 किलोग्राम विवरण किया गया है। यह वर्णित किया गया कि इस प्रकार अपीलार्थी के पास वर्तमान में कुल 61,941/– किलोग्राम गेहूँ स्टॉक में होना चाहिए, जिसका अपीलार्थी ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया। कारण बताओ नोटिस दिनांकित 17.01.2020 की प्रति प्रदर्श–5 के रूप में संलग्न है। कि पूर्व कारण बताओ नोटिस दिनांकित 08.01.2020 एवं कारण बताओ नोटिस दिनांकित 17.01.2020 दोनो कारण बताओ नोटिस में अपीलार्थी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के मौके हेतु दिनांक 30.01.2020 को कमशः प्रातः 10:30 बजे एवं 11 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए अर्थात अपीलार्थी द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की दिनांक से पहले ही एक और कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को प्रतिवादी द्वारा जारी कर दिया गया जो कि कानूनन उचित नहीं है जिस दिन प्रतिवादी के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की दुकान पर निरीक्षण किया गया, उसी दिन अपीलार्थी एवं ग्रामवासियों ने प्रतिवादी को अपीलार्थी के समर्थन में पत्र दिया। समर्थन पत्र दिनांक 10.01.2020 प्रदर्श–06 के रूप में संलग्न है। कारण बताओ नोटिस दिनांकित 17.01.2020 अनुसार प्रवर्तन अधिकारी श्रीमति शिवानी अस्थाना द्वारा दिनांक 10.01.2020 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के संबंध में प्रवर्तन अधिकारी श्रीमति शिवानी अस्थाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 14.01.2020 एवं संलग्न आवश्यक

जिला कलक्टर
फलौदी

दस्तावेज प्रदर्श–7 के रूप में संयुक्त रूप से संलग्न है। इस रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के पास कुल 61941 किलोग्राम गेहूँ का स्टॉक होना चाहिए जबकि वर्तमान में (रिपोर्ट की दिनांक 14.01.2020) तक Online Status के अनुसार अपीलार्थी के पास गेहूँ स्टॉक 56300 किलोग्राम पाया गया अर्थात 5641 किलोग्राम गेहूँ अपीलार्थी की पॉश मशीन डिटेल अनुसार कम पाया गया। इस संदर्भ में यहां यह सबमिशन करना उचित होगा कि पॉस मशीन प्रणाली सितम्बर, 2016 से ही लागू हुयी तथा अपीलार्थी द्वारा पॉस मशीन का उपयोग सितम्बर, 2016 से जनवरी, 2020 तक ही किया गया तथा शुरूआती समय से सम्पूर्ण गेहूँ या अन्य राशन सामग्री राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.03.2016 क्रमांकः एफ6/खा. वि./कम्प्यू/ यू.आई.डी. 2010–11 खाद्य सचिव श्री सुबोध अग्रवाल द्वारा जारी वास्तविक में प्राप्त गेहूँ के स्टॉक में अंतर है तथा प्रतिवादी विभाग को बहुत बार आग्रह करने पर भी यह गलती या भूल या जानबूझकर की गयी गतिविधि में कोई सुधार नही आया। प्रतिवादी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांकित 17.01.2020 का अपीलार्थी द्वारा 30.01.2020 को संक्षिप्त जवाब भी दिया गया जिसकी प्रति प्रदर्श–10 के रूप में संलग्न है। उसी दिन अर्थात 30.01.2020 को ही बिना जांच एवं बिना विस्तृत जवाब का इंतजार किए अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का लाईसेंस निलंबित कर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था मैसर्स बलवन्ताराम (सदरी) (पास कोड 9548) को दे दी गयी थी। आदेश दिनांकित 30.01.2020 की प्रति प्रदर्श 11 संलग्न है। तत्पश्चात 17.05.2021 को उपरोक्त उचित मूल्य दुकान की वैकल्पिक व्यवस्था मै. बलवन्ताराम (पास कोड 9548) से मै. राजेन्द्र कुमार जैन (पास कोड 23334) को दे दी गयी। दिनांक 17.05.2021 का खाद्यान प्राप्ति प्रमाण पत्र प्रदर्श–12 के रूप में संलग्न है। खाद्यान प्राप्ति प्रमाण पत्र दिनांक 17.05.2021 में यह स्पष्ट वर्णित है कि गेहूँ का स्टॉक पॉश मशीन में 42,551.46 किलोग्राम है एवं बलवन्ताराम (सदरी) द्वारा 5256 किग्रा गेहूँ राजेन्द्र कुमार जैन को सुपुर्द किया गया था। यहां यह सबमिट करना उचित होगा कि 30.01.2020 से लेकर आज दिनांक तक प्रतिवादी द्वारा किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई ना ही अपीलार्थी को गेहूँ व चीनी का भौतिक सत्यापन करवाने हेतु अवसर या कम्यूनिकेशन किया। यहां तक कि अपीलार्थी स्वयं द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाने के लिए प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया गया एवं अन्ततः दिनांक 16.12.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के पास मौजूद गेहूँ एवं चीनी का भौतिक सत्यापन करने का कष्ट करे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दिनांक 30.01.2020 से 29.04.2022 तक के आदेश की प्रति प्रदर्श–13 संलग्न है। जब दिनांक 30.01.2020 से अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरस्तीकरण तक कोई जाच या स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया तब अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र दिनांकित 16.12.2021 पर दिनांक 18.04.2022 को प्रतिवादी विभाग के अधिकारी द्वारा बिना मौके पर गये एवं बिना अपीलार्थी से संपर्क किए अपने कार्यालय में बैठे–बैठे ही रिपोर्ट दिनांकित 18.04.2022 बनायी एवं प्रतिवादी जिला रसद अधिकारी को प्रेषित कर दी। प्रतिवादी विभाग के अधिकारी द्वारा प्रतिवादी को प्रेषित रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रदर्श–14 के रूप में संलग्न हैं। प्रतिवादी द्वारा अलग प्रकरण संख्या दर्शित करते हुए आलोच्य आदेश दिनांकित 29.04.2022 पारित किया गया जिसके जरिये अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 246/2001 को निरस्त कर दिया गया तथा आलोच्य आदेश में यह भी पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा 40165.73 किग्रा गेहूँ एवं 299 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग करना पाया गया। इस आदेश के बारे में अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया एवं ना ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांकित 29.04.2022 पारित करने

जिला कलक्टर
फलौदी

से पूर्व अपने पक्ष रखने का अवसर दिया गया, यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांकित 16.12.2021 (नैतिक सत्यापन करवाने हेतु) पर प्रतिवादी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गयी। आलोच्य आदेश दिनांकित 29.04.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–15 संलग्न है। आलौच्य आदेश दिनांकित 29.04.2022 के पारित करने के पश्चात दिनांक 07.07.2022 को अपीलार्थी को जरिये डाक आलौच्य आदेश दिनांक 27.05.2022 की फोटोकॉपी प्राप्त हुआ जिसके जरिये अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति की सम्पूर्ण रकम जब्त संस्कार कर दिया गया। आलौच्य आदेश दिनाकित 27.05.2022 की प्रति जो अपीलार्थी को जरिये डाक दिनांक 07.07.2022 को प्राप्त हुयी थी प्रदर्श–16 के रूप में संलग्न है। दिनांक 27.05.2022 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आदेश दिनांक 29.04.2022 बैंक डेट में पारित किया गया है वरना तत्पश्यात आलोच्य आदेश लगभग एक महीने बाद पारित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि मौके पर अपीलार्थी की दुकान बन्द मिली तथा दुकान बन्द होने का कोई स्पष्ट कारण प्रदर्शित नही था। अपीलार्थी को बार–बार निदेर्शित करने के बावजूद भी अपीलार्थी उचित मूल्य की दुकान पर उपस्थित नहीं था। जिससे भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा सका। पूर्व में भी दिनांक 12.12.2019को सरपंच ढेलाणा की शिकायत पर अपीलार्थी की दुकान की जांच हेतु प्रवर्तन अधिकारी के जाने पर उस दिन भी बार–बार दूरभाष पर सम्पर्क करने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा दुकान का निरीक्षण नहीं करवाया गया। माह सितम्बर 2016 से माह जनवरी 2020 तक अपीलार्थी की दुकान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूँ की आवक 331451 किलोग्राम हुई, इस अवधि के दौरान पॉस मशीन से कुल 269510 किलोग्राम गेहूँ का ऑनलाइन वितरण करना पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के पास वर्तमान में कुल 61941 किग्रा गेहूँ स्टॉक में होना चाहिए था। जिसका बार बार निदेर्शित करने एवं मौके पर जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जाना गेहूँ का लापरवाही होना प्रतीत हो रहा था। अपीलार्थी के विरूद्व उचित मूल्य दुकान के संचालन में गंभीर अनियमितताएं किये जाने से प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। तथा पपत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों , जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर विधि अनुसार सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर कार्यवाही की गई है। उचित मूल्य दुकान का Online status check करने पर कुल गेहूँ स्टॉक 56300 किग्रा होना पाया गया। निगम से प्राप्त रिपोट्व के आधार पर माह सितम्बर 16 से माह जनवरी 20 तक उचित मूल्य दुकान पर कुल गेहूँ आवक 331451 किग्रा होना पाया गया। जबकि ऑनलाईन ट्रांसजेशन चैक करने पर इस अवधि के दौरान कुल वितरण269510 किग्रा गेहूँ होना पाया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकार के वर्तमान में कुल 61941 किग्रा गेहूँ स्टॉक में होना चाहिए। जिसका भौतिक सत्यापन करवाने में अपीलार्थी द्वारा आना–कानी की जा रही थी। अपीलार्थी द्वारा माह दिसम्बर 2019 का 5859 किग्रा गेहूँ एवं जनवरी 2020 को 1371 किग्रा का पॉश मशीन में अपडेट नहीं किया गया। जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पद्वार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त 5,8,9,10 एंव 11 का स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जिसके तहत ही विधि की सुनिश्चित पालना कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र को खारिज की कार्यवाही की गई। बहस के अंत में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने की इस्तदुआ की।

जिला कलक्टर
फलौदी

6. अपीलार्थी ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम को पेश किया है। अपील को निस्तारण करने से पूर्व न्यायालय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना न्यायोचित समझता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है। अपीलार्थी निर्धारित समयावधि में स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नही कर सका। अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी के आदेश को निरस्त करने के बाबत न्यायालय के समक्ष अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का माकुल एवं सदभाविक कारण है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील की सुनवाई किये जाने का आदेश फरमाया जावे। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पर सहमति प्रदान की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कथन स्वीकार योग्य एवं न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया।

8. उभयपक्षकारान के तर्को, एवं न्यायालय जिला रसद अधिकारी की मूल पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात, जबाब, लिखित बहस के अवलोकन एवं मनन पश्चात अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार रामनारायण गायणा ग्राम ढेलाणा द्वारा कुल 40165.73 किग्रा गेहूँ एवं 299 किग्रा चीनी का स्टॉक में स्पष्ट अनियमितताओं का प्रतीत होना पाया गया। प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष से सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया जाना स्पष्टतः है। उक्त विवचेनानुसार अपीलार्थी के विरूद्व आरोप प्रमाणित पाया गया अतः अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय को सूचना एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जोव। आदेश सुनाया गया।

श्वेता चौहान
(आई ए एस)
जिला कलक्टर फलौदी

जिला कलक्टर फलौदी

आदेश आज दिनांक 07/10/2025 को सुनाया व हस्ताक्षित किया गया।

श्वेता चौहान
जिला कलक्टर फलौदी

जिला कलक्टर फलौदी